रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 2017/श्रावण 23, 1939

No. 317] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 2017/ SRAVANA 23, 1939

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुम्बई, 14 अगस्त, 2017

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017

**सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2017-18/ 016.**— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में, विनियम 70 में,-

(i) उप-विनियम (1) में, खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(ग) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 [सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज़ (स्पेशल प्रोविज़न्स) एक्ट, 1985] के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्वास स्कीम (रीहबिलिटेशन स्कीम) या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) के अधीन अधिकरण (न्यायाधिकरण / ट्रायब्युनल) द्वारा अनुमोदित समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लॉन), जो भी लागू हो, के अनुसार,"

(ii) मौजूदा उप-विनियम (5) निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(5) इस अध्याय के प्रावधान (उपबंध) वहाँ लागू नहीं होंगे, जहाँ निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) उधारदाताओं के लिए, उनके ऋण (डैट) के संपरिवर्तन (कन्वर्जन) [भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धाँतों / गाइडलाइन्स) के अनुसार लाई गई ऋण पुनर्संरचना स्कीम (डैट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम) के भागस्वरूप] के अनुसरण में, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, लाया जाता हो :

(क) संपरिवर्तन कीमत (कन्वर्जन प्राइस) तय करने संबंधी दिशानिर्देश (मार्गदर्शक सिद्धाँत / गाइडलाइन्स) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं जिनके अनुसार संपरिवर्तन कीमत (कन्वर्जन प्राइस) तय की जाएगी और जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का पालन किया जाएगा ;

(ख) संपरिवर्तन कीमत (कन्वर्जन प्राइस) दो स्वतंत्र अर्हित मूल्यांककों (वैल्यूअर्स) द्वारा प्रमाणित की जाएगी, और इस प्रयोजनार्थ 'मूल्यांकक' वह व्यक्ति होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 तथा उसके अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो:

परंतु यह कि जिस तारीख को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 तथा संबद्ध नियम लागू (प्रवृत्त) हों उस तारीख तक, मूल्यांकक का अर्थ होगा - बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र मर्चेंट बैंककार (बैंकर) या स्वतंत्र पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट (जिसे न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव हो);

(ग) इस प्रकार आबंटित की गई निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियाँ उनके आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए रुद्ध (लॉक-इन) हो जाएँगी:

परंतु यह कि नियंत्रण को अंतरित (ट्रांसफर) किए जाने के प्रयोजनार्थ, उधारदाता उन्हें आबंटित की गई निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियों को अवरुद्धता (लॉक-इन) की अवधि के पूरा होने से पूर्व अंतरित कर सकेंगे, बशर्ते कि ऐसी प्रतिभूतियाँ शेष अवधि हेतु अंतरिती [ट्रांसफरी / जिसे अंतरण (ट्रांसफर) किया जा रहा हो] के पास रुद्ध (लॉक-इन) रहें;

(घ) अधिमानी (प्रेफरेंशियल) आधार पर निर्गमित (इश्यू की गई) संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के संपरिवर्तन (कन्वर्जन) के अनुसरण में आबंटित किए गए इक्विटी शेयरों की अवरुद्धता (लॉक-इन) की अवधि उतनी कम हो जाएगी जितनी अवधि के लिए संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ पहले ही रुद्ध (लॉक-इन) की जा चुकी हों;

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों (उपबंधों), जिनमें विशेष संकल्प संबंधी अपेक्षा भी शामिल है, का पालन किया जाए।"

(iii) मौजूदा उप-विनियम (6) निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(6) इस अध्याय के प्रावधान (उपबंध) वहाँ लागू नहीं होंगे, जहाँ निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू), यदि कोई हो, व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धाँतों / गाइडलाइन्स) के अनुसार लाई गई ऋण पुनर्संरचना स्कीम (डैट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम) के अनुसरण में, उधारदाताओं द्वारा उनकी धारिता (होल्डिंग) [निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की] बेचे जाने या ऐसे व्यक्ति (व्यक्तिओं) के पक्ष में स्वामित्व में परिवर्तन कराए जाने के समय, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, लाया जाता हो:

(क) निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) तय करने संबंधी दिशानिर्देश (मार्गदर्शक सिद्धाँत / गाइडलाइन्स) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं जिनके अनुसार निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) तय की जाएगी और जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का पालन किया जाएगा;

(ख) निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) दो स्वतंत्र अर्हित मूल्यांककों (वैल्यूअर्स) द्वारा प्रमाणित की जाएगी, और इस प्रयोजनार्थ 'मूल्यांकक' वह व्यक्ति होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 तथा उसके अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो:

परंतु यह कि जिस तारीख को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 तथा संबद्ध नियम लागू (प्रवृत्त) हों उस तारीख तक, मूल्यांकक का अर्थ होगा - बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र मर्चेंट बैंककार (बैंकर) या स्वतंत्र पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट (जिसे न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव हो);

(ग) इस प्रकार आबंटित की गई निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियाँ उनके आबंटन की तारीख से कम से कम तीन वर्षो की अवधि के लिए रुद्ध (लॉक-इन) हो जाएँगी;

(घ) अधिमानी (प्रेफरेंशियल) आधार पर निर्गमित (इश्यू की गई) संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के संपरिवर्तन (कन्वर्जन) के अनुसरण में आबंटित किए गए इक्विटी शेयरों की अवरुद्धता (लॉक-इन) की अवधि उतनी कम हो जाएगी जितनी अवधि के लिए संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ पहले ही रुद्ध (लॉक-इन) की जा चुकी हों;

(ङ) अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू) से पहले निर्गमकर्ता (इश्युअर) के शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित कर दिया गया हो;

(च) निर्गमकर्ता (इश्युअर), कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू विधि के अधीन अपेक्षित प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र) के अलावा, प्रस्तावित आबंटिती (आबंटितियों) [अलॉटी] से संबंधित निम्नलिखित जानकारी, साधारण बैठक [जो उस विशेष संकल्प को पारित करने के लिए बुलाई जानी हो जिसका उल्लेख इस उप-विनियम के खंड (ङ) में किया गया है] की सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में प्रकट करेगा:

(क) प्रस्तावित आबंटिती (आबंटितियों) [अलॉटी] की पहचान और साथ ही उन प्रकृत व्यक्तिओं (नैचुरल पर्सन्स) की पहचान, जो आबंटन किए जाने हेतु प्रस्तावित शेयरों के अंतिम हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) हों और/या जिनका प्रस्तावित आबंटिती (आबंटितियों) [अलॉटी] पर अंतिम रूप से नियंत्रण हो;

(ख) कारबार का मॉडल (बिज़नेस मॉडल);

(ग) समय के साथ-साथ कारबार (कारोबार) में हुई वृद्धि का विवरण;

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्त-संबंधी विवरणों आदि का सारांश;

(ङ) कंपनियों की कायापलट (टर्नअराउंड) [यदि कभी हुई हो] करने का पिछला रिकॉर्ड (ट्रैक रिकॉर्ड);

(च) निर्गमकर्ता (इश्युअर) की कायापलट (टर्नअराउंड) करने हेतु प्रस्तावित खाका (रोडमैप)।

(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों (उपबंधों) का पालन किया जाए।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/182/2017]

**पाद टिप्पण :**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, 26 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात् :-
   (1) 11 दिसम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/186926, द्वारा
   (2) 1 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/25/189240, द्वारा
   (3) 8 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146, द्वारा
   (4) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जी.एन./2010-11/03/1104, द्वारा
   (5) 12 नवम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/19/26456, द्वारा

(6) 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2011-12/05/13907, द्वारा

(7) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, द्वारा

(8) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/25/30309, द्वारा

(9) 30 जनवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/34/2499, द्वारा

(10) 7 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/35/3186, द्वारा

(11) 21 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा

(12) 24 अगस्त 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/12/18951, द्वारा

(13) 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/18/5391, द्वारा

(14) 27 फरवरी 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/32/4947, द्वारा

(15) 26 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी-एन/2013-2014/19/6422, द्वारा

(16) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा

(17) 7 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा

(18) 4 फरवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/44/226, द्वारा

(19) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/ 03/1089, द्वारा

(20) 25 अगस्त 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी/एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/06/1372, द्वारा

(21) 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/24/538, द्वारा

(22) 5 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./जी.एन./2015-16/003, द्वारा

(23) 11 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-2016/007, द्वारा

(24) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2015-16/008, द्वारा

(25) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/012, द्वारा

(26) 2 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, द्वारा

(27) 10 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (छठा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जी.एन./2015-16/018, द्वारा

(28) 27 अक्तूबर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/025, द्वारा

(29) 21 जनवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/031, द्वारा

(30) 17 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/036, द्वारा

(31) 25 मई 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/003, द्वारा

(32) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/017, द्वारा

(33) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/030, द्वारा

(34) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा

(35) 31 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/006, द्वारा

(36) 31 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/014, द्वारा

संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th August 2017

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2017**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/016.** —In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2017.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, in regulation 70, -

(i) in sub-regulation (1), in clause (c), after the words and figure "Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 or" and before the words "the Tribunal", the words "the resolution plan approved by" shall be inserted.

(ii) the existing sub-regulation (5) shall be substituted by the following new sub-regulation, namely, -

"(5) The provisions of this Chapter shall not apply where the preferential issue of specified securities is made to the lenders pursuant to conversion of their debt, as part of a debt restructuring scheme implemented in accordance with the guidelines specified by the Reserve Bank of India, subject to the following conditions:

(a) the guidelines for determining the conversion price have been specified by the Reserve Bank of India in accordance with which the conversion price shall be determined and which shall be in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013;

(b) the conversion price shall be certified by two independent qualified valuers, and for this purpose 'valuer' shall be a person who is registered under section 247 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules framed thereunder:

Provided that till such date on which section 247 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules come into force, valuer shall mean an independent merchant banker registered with the Board or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years;

(c) specified securities so allotted shall be locked-in for a period of one year from the date of their allotment:

Provided that for the purpose of transferring the control, the lenders may transfer the specified securities allotted to them before completion of the lock-in period subject to continuation of the lock-in on such securities for the remaining period, with the transferee;

(d) the lock-in of equity shares allotted pursuant to conversion of convertible securities issued on preferential basis shall be reduced to the extent the convertible securities have already been locked-in;

(e) the applicable provisions of the Companies Act, 2013 are complied with, including the requirement of special resolution."

(iii) the existing sub-regulation (6) shall be substituted by the following new sub-regulation, namely, -

"(6) The provisions of this Chapter shall not apply where the preferential issue, if any, of specified securities is made to person(s) at the time of lenders selling their holding of specified securities or enforcing change in ownership in favour of such person(s) pursuant to a debt restructuring scheme implemented in accordance with the guidelines specified by the Reserve Bank of India, subject to the following conditions:

(a) the guidelines for determining the issue price have been specified by the Reserve Bank of India in accordance with which the issue price shall be determined and which shall be in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013;

(b) the issue price shall be certified by two independent qualified valuers, and for this purpose 'valuer' shall be a person who is registered under section 247 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules framed thereunder:

Provided that till such date on which section 247 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules come into force, valuer shall mean an independent merchant banker registered with the Board or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years;

(c) the specified securities so allotted shall be locked-in for a period of at least three years from the date of their allotment;

(d) the lock-in of equity shares allotted pursuant to conversion of convertible securities issued on preferential basis shall be reduced to the extent the convertible securities have already been locked-in;

(e) a special resolution has been passed by shareholders of the issuer before the preferential issue;

(f) the issuer shall, in addition to the disclosures required under the Companies Act, 2013 or any other applicable law, disclose the following information pertaining to the proposed allottee(s) in the explanatory statement to the notice for the general meeting proposed for passing the special resolution as stipulated at clause (e) of this sub-regulation:

a. the identity including that of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/ or who ultimately control the proposed allottee(s);

b. the business model;

c. a statement on growth of business over the period of time;

d. summary of audited financials of previous three financial years;

e. track record in turning around companies, if any;

f. the proposed roadmap for effecting turnaround of the issuer.

g. the applicable provisions of the Companies Act, 2013 are complied with."

AJAY TYAGI, Chairman

[Advt-III/4/Exty./182/2017]

**Footnote:**

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26th August, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/15/174471.

2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on:-

(1) 11th December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/23/186926.

(2) 1st January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 2010/25/189240.

(3) 8th January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2009- 10/26/190146.

(4) 13th April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2010-11/03/1104.

(5) 12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO/GN/2010-11/19/26456.

(6) 29th April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LADNRO/GN/2011-12/05/13907.

(7) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.

(8) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LADNRO/GN/2011- 12/25/30309.

(9) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499.

(10) 7th February, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/35/3186.

(11) 21st May, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.

(12) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2012-13/12/18951.

(13) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO/GN/2012-13/18/5391.

(14) 27th February, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/32/4947.

(15) 26th August, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/19/6422.

(16) 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.

(17) 7th January, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.

(18) 4th February, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/44/226.

(19) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

(20) 25th August, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/06/1372.

(21) 24th March 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/24/538.

(22) 5th May, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/003.

(23) 11th August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/007.

(24) 14th August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/008.

(25) 14th August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/012.

(26) 2nd September, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015- 16/013.

(27) 10th September, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/18.

(28) 27th October, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/025.

(29) 21st January, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/031.

(30) 17th February, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/036.

(31) 25th May, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/003.

(32) 30th November, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/017.

(33) 15th February, 2017 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/030.

(34) 6th March, 2017 by SEBI (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated 29th of March, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

(35) 31st May, 2017 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/06.

(36) 31st July, 2017 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/014.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.16 18:06:37 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.